राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.6(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2018 जयपुर, दिनांकः 16 मई, 2019

समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– महालेखाकार की लेखा पुस्तकों से वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्यय के अंक मिलान (Reconciliation) बाबत।
संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2019

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान कार्य **18 मई, 2019 तक** आवश्यक रूप से पूर्ण करवाकर महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें तथा प्रमाण पत्र की एक प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करावें। महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी अधिकांश बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। **अंकमिलान कार्य पूर्ण नहीं करने के परिणामस्वरूप लेखों में यदि कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा जन लेखा समिति के समक्ष जवाबदेह होंगे।**

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान कार्य **18 मई, 2019 तक** आवश्यक रूप से पूर्ण करवाकर महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें तथा प्रमाण पत्र की एक प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करावें।

भवदीय,

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव,वित्त(बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. तकनीकी निदेशक, वित्त(कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

निदेशक, वित्त (बजट)

\\10.68.50.13\2003\2013\Sitaram Agarwal\Letter\Reconcilation Letters .doc